



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 101 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 1999/अग्रहायण 5, 1921

No. 101 ]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 1999/AGRAHAYANA 5, 1921

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1999

सं० 8/1(1)/99-सी.ई.आर.सी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्यविधि प्रणाली) विनियमन, 1999 के विनियमन 110 के अंतर्गत शक्तियों को प्रदान करते हुए और इसकी ओर से सभी अन्य शक्तियों के तहत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निम्न आदेश बनाता है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और उसका प्रारंभ

- (i) यह आदेश केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विधि प्रावधान) (प्रथम संशोधन) आदेश, 1999 कहलाएगा।
- (ii) यह आदेश तत्काल लागू होगा।

2. आदेश के पैरा 11 में संशोधन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विधि प्रावधान) आदेश, 1999 के पैरा 11 का उप-पैरा 1 के निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

11. याचिका, आवेदन आदि पर फीस

आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक याचिका/आवेदन-पत्र के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस देय होगा।

बशर्ते कि याचिका/आवेदन-पत्र केवल 10,000/- रु. की फीस के साथ संलग्न होगा और देय फीस की शेष राशि, यदि कोई हो तो, का भुगतान याचिका/आवेदन-पत्र प्राप्त करने के दो सप्ताह के अंदर करना होगा।

पुनः बशर्ते कि भारत सरकार से पंजीकृत आर. एन. डी. सी. और उपभोक्ता ग्रुप द्वारा कोई भी याचिका/आवेदन-पत्र फीस देय नहीं होगी।

3. आदेश के प्रकाशन संबंधी विवरण

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विधि प्रावधान) आदेश, 1999 दिनांक 30-8-1999 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के खंड-4, भाग-III में प्रकाशित हुआ।

संजीव एस. अहलुवालिया, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/150/99]

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th November, 1999

No. 8/I(O)/99-CERC.—In exercise of powers conferred under Regulation 110 of the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations 1999, and all other powers enabling in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following order :—

**1. Short title and commencement**

- (i) This order shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Misc. Provisions) (First Amendment) Order, 1999.
- (ii) This order come into force with immediate effect.

**2. Amendment of Paragraph 11 of the Order**

Sub-paragraph 1 of Paragraph 11 of the Central Electricity Regulatory Commission (Misc. Provisions) Order 1999 shall be substituted as under :

**11. Fee on petitions, applications etc.**

The fee specified in the Schedule shall be payable in respect of every petition/application filed before the Commission.

Provided that the petition/application shall be accompanied by a fee of Rupees ten thousand only and the balance of fee payable, if any, shall be paid within two weeks of the admission of the petition/application.

Provided further that no petition/application fee shall be payable by the RLDCs and the Consumer Groups, registered with the Government of India.

**3. Particulars of publication of the order**

The Central Electricity Regulatory Commission (Miscellaneous Provisions) Order, 1999 was published in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 30-8-1999.

SANJEEV S. AHLUWALIA, Secy.

[Advt./III/TV/Exty/150/99]